प्रेस विज्ञप्ति
25.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा, गोवा के समक्ष 04.04.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एस्टेवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 25.04.2025 को संज्ञान लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गोवा पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि मोहम्मद सुहैल ने अन्य साथियों के साथ मिलकर गोवा में अवैध रूप से जमीन हड़पने की आपराधिक साजिश रची थी, जिसमें वे ऐसी लावारिस संपत्तियों की तलाश करते थे, जहां संपत्ति का वास्तविक मालिक या तो बिना किसी कानूनी वारिस के मर चुका हो या कानूनी वारिस भारत से बाहर रह रहा हो। धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए संभावित संपत्तियों की पहचान करने के बाद, उन्होंने आईपीसी, 1860 की धारा 120बी, 419, 420 और 471 के तहत दंडनीय अपराध किए, जिसमें उन्होंने वैध मालिकों के प्रतिरूपण के माध्यम से जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बिक्री विलेख/अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की; और संपत्ति लेनदेन किया।

इससे पहले, ईडी ने 08.11.2023 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जिसमें गोवा के बारदेज़ में स्थित 11.82 करोड़ रुपये की 8 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। इसके बाद, विद्वान न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा उक्त पीएओ की पुष्टि 08.04.2024 के आदेश के द्वारा की गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।